



उत्तमा वृत्तिस्तु कृषिकर्मैव

AGRICULTURAL RESEARCH SUB STATION
(S, K, Rajasthan Agricultural University- Bikaner)
HANUMANGARH TOWN-335513

01552-222935(o)

Dr. Hanuman Ram
Professor (Ext. Edn.) &
Officer Incharge

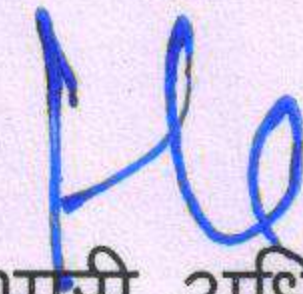
No. ARSS/HMO/2025/ 78-82

Dated 14.7.25

खुली निविदा

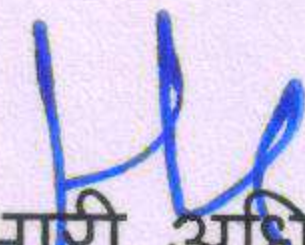
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र हनुमानगढ टाउन पर विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं व फार्म पर कृषि से सम्बन्धित कार्य ठेका पद्धति द्वारा करवाने हेतु जानकारी रखने वाले ठेकेदारों से खुली मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की लगभग 600000/-रु० है के निविदा फार्म कार्यालय में 500/- (पाँच सौ रु० मात्र) नगद / डीडी जो प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, हनुमानगढ टाउन के पक्ष में देय होगी, जमा करवाकर दिनांक 21-07-2025 से 28-07-2025 समय 11.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं, भर हुये सील बन्द निविदा फार्म कार्यालय में दिनांक 28-07-2025 समय 12.00 बजे तक धरोहर राशी 12000/-रु० का डीडी जो कि प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, हनुमानगढ टाउन के पक्ष में देय हो संलग्न कर कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं, जो उसी दिन दोपहर 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधौहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा कारणवश दिनांक 28-07-2025 को नहीं खोली जाती है तो यह निविदा दिनांक 29-07-2025 को 2.00 बजे खोली जावेगी। निविदा की शर्तें एवं विभिन्न कृषि कार्यों का विवरण निविदा फार्म के साथ संलग्न है।

निविदाप्रपत्र वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in तथा www.raubikaner.org पर देखा तथा डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भी भाग को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार, प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, हनुमानगढ टाउन को होगा।


प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिनि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्री मान निदेशक अनुसंधान, अनुसंधान निदेशालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि दिनांक 28.07.2025 को अपना प्रतिनिधि भेजने की कृपा करें।
2. श्री मान वित्तनियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि दिनांक 28.07.2025 को अपना प्रतिनिधि भेजने की कृपा करें।
3. श्री मान क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्री गंगानगर को भेजकर निवेदन है कि दिनांक 28.07.2025 को लेखा प्रतिनिधि भेजने की कृपा करें।
4. श्री मान प्रभारी अधिकारी, सिमका, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि इस खुली निविदा को विश्वविधालय पोर्टल पर डालने की कृपा करें।
5. डा० प्रदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर (प्लान्ट पैथोलोजी) एवं चैयरमैन कमेटी/डा० प्रमेन्द्र सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर, (एग्रोनोमी) / श्री रामवर्मा लेखा प्रतिनिधि / श्री राकेश कुमार गोस्वामी /
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय / लेखा शाखा...


प्रभारी अधिकारी



उत्तमा वृत्तिस्तु कृषिकर्मैव

AGRICULTURAL RESEARCH SUB STATION
(S, K, Rajasthan Agricultural University- Bikaner)
HANUMANGARH TOWN-335513

01552-222935(o)

निविदा फार्म

श्रीमान प्रभारी अधिकारी,
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र,
हनुमानगढ टाउन।

विषय: कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, हनुमानगढ टाउन द्वारा जारी निविदा में दिये गये कार्यों की दरों बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके द्वारा जारी निविदा क्रमांक: एआरएसएस/एचएमओ/निविदा/2025/
दिनांक में मेरे द्वारा नीचे लिखित कार्यों हेतु दरें निम्न प्रकार से हैं।

क्रमांक	कार्य का पूर्ण विवरण	कार्य ईकाई	दरें (सरकारी दरों को आधार मानते हुये भरें)
1.	कुशल श्रमिक - 1. ट्रेक्टर ड्राइवर	दर प्रति दिन	
2.	उच्च कुशल श्रमिक-फिल्ड का कार्य (फार्म से सम्बन्धित) / कार्यालय का कार्य/अन्य विविध कार्य	दर प्रति दिन	
3	कार्यालय का रखाव/ फार्म पर दिन रात चौकीदारी, कार्यालय व आवासीय कॉलोनी की चौकीदारी/स्वीपर व अन्य विविध कार्य	दर प्रति दिन	
4	अवांछित पौधों को निकालना (रोगिगं), स्प्रे कराना ढोलकी (हाथ द्वारा)	दर प्रति बीधा	
5	फसलों में निराई गुड़ाई (दो से तीन दिन)	दर प्रति हैक्टेयर	
6	फसलों में सिचाई /पलेवा	दर प्रति हैक्टेयर	
7	बिजाई से पूर्व चना, मूँग व ग्वार व अन्य फसलों में उर्वरकों का छिड़कना	दर प्रति हैक्टेयर	
8	फसलों की कटाई, बधाई व मंडली करना, ढुलाई करना	दर प्रति हैक्टेयर	
9	खरीफ व रबी की फसलों की कटाई हाथ द्वारा	दर प्रति हैक्टेयर	
10	थ्रेसिंग फ्लोर पर उपज को झार लगाना, बोरिया भरना, सिलाई करना , तुलाई करना एवं भण्डार में रखना	दर प्रति क्विन्टल	
11	कम्बाईन द्वारा फसलों की कटाई व निकलाई व निकलाई खरीफ में ग्वार और मूँग व रबी में गेहूँ, चना, जौ	दर प्रति हैक्टेयर	
12	खरीफ व रबी की फसलों में स्वचालित (ऑटोमैटिक) स्प्रेयर व ट्रेक्टर द्वारा स्प्रे करना।	दर प्रति बीधा	
13	थ्रेसर द्वारा फसलों को निकालना आदि कार्य	दर प्रति बीधा/प्रति धण्टा	
14	विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज/आधार बीज/प्रमाणित बीजों की ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना, तौलना, मार्का लगाना, सिलाई लगाना व स्टेग करना	दर प्रति क्विन्टल	
15	प्रयोगों में (प्लाट वाईज) निराई गुड़ाई करना, कटाई करना, निकलवाना, वजन करना मय बोर्डर	दर प्रति प्लॉट	

निविदादाता यदि किसी प्रकार का कर (पी एफ, ई एस आई या अन्य कोई कर या श्रमिक लाभ) जोड़ता है तो
उसको अलग अलग दर्शाना होगा।

निविदादाता का नाम
फर्म/संस्था/सेवा प्रदाता का नाम/रजिस्ट्रेशन न0/
आधार न0 मोबाईल न0

H
Officer Incharge
ARSS, Hanumangarh Town

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, हनुमानगढ टाउन द्वारा जारी खुली निविदा की शर्तें

क्रमांक	नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैं:-
1.	निविदा फार्म 500/-रु0 नगद/डीडी जो कि प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, हनुमानगढ टाउन के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करने पर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते हैं।
2	कार्य की अनुमानित लागत 600000/-रु0 है निविदादाता को निविदा के साथ धरोहर राशी 12000/-रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद जो प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, हनुमानगढ टाउन के पक्ष में देय हो, लगाना आवश्यक है। बिना धरोहर राशी के निविदा फार्म निरस्त माना जावेगा। सफल निविदादाता स्वीकृत कार्य करने से इन्कार करता है या वह अपने प्रस्ताव से किसी भी समय पीछे हटता है या अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच छोड़ता है, तो उसकी धरोहर राशी जब्त कर ली जावेगी। सफल निविदादाता को अनुमानित राशी 600000 रु0 का 5 प्रतिशत यानी 30000 रु0 धरोहर राशी के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें 12000 रु0 पूर्व में जमा कराई गई राशी समायोजित कर ली जावेगी।
3	प्रभारी अधिकारी दिये गये सभी कार्यों को करवाने के लिये बाध्य नहीं है।
4	निविदादाता/सेवा प्रदाता फर्म का श्रम विभाग राज्य/केन्द्र सरकार के प्रचलित नियमों के अर्न्तगत पंजीकृत होना वांछित है, निविदादाता/सेवा प्रदाता फर्म को कार्यालय में प्रथम बिल प्रस्तुत करने से पूर्व पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5	निविदादाता/सेवा प्रदाता द्वारा आयकर पेन न0 एवं आधार न0 व बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य है।
6	निविदादाता/सेवा प्रदाता को निर्धारित आयकर काटकर ही भुगतान किया जावेगा, आयकर रिटर्न भरने का पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा।
7	निविदादाता/सेवा प्रदाता के कर्मचारी या श्रमिक, अन्य निविदादाता के ही सेवक होंगे, उनका कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, हनुमानगढ टाउन या स्वामी केषवानन्द राजस्थान कृषि विष्वविधालय बीकानेर से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और नाही इस सम्बन्ध में कोई दावा पेश करेगा।
8	निविदादाता/सेवा प्रदाता को श्रम विधियों एवं नियमों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा, आपूर्ति किये गये श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रमिक कानूनों, नियमों व अन्य सवैधानिक दायित्व निविदादाता का होगा।
9	एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा समान दर प्राप्त होने पर किसी एक निविदादाता को स्वीकार करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी/कमेटी चैयरमैन को होगा।
10	निविदादाता को सम्पादित किये गये कार्यों का ही भुगतान होगा, किसी प्रकार की अग्रिम राशी नहीं दी जावेगी।
11	निविदादाता/सेवा प्रदाता मानसिक रूप से स्वस्थ व अच्छे चाल चलन का होना चाहिये, जिसका कोई अपराधिक रिकॉर्ड न हो।
12	निविदादाता/सेवा प्रदाता द्वारा अवयस्क श्रमिक को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।
13	निविदादाता/सेवा प्रदाता या श्रमिकों द्वारा केन्द्र के सामान/सम्पति को किसी प्रकार की हानि/क्षति पहुँचाई जाती है तो हर्जाना निविदादाता को देना होगा, तथा श्रमिक को तुरन्त हटना होगा।
14	फार्म पर कृषि कार्य करते समय किसी भी प्रकार की मानव दुर्घटना/दुर्घटना हो जाती है तो उसकी समस्त जबाबदेही एवं जिम्मेदारी सफल निविदादाता की स्वंय की होगी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, हनुमानगढ टाउन किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा तथा ना ही निविदादाता/श्रमिक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये दावा/मांग करेगा।
15	निविदादाता/सेवा प्रदाता को बताया गया कार्य समय पर नहीं करने पर उक्त कार्य अन्य व्यक्तियों से करवाया जावेगा जिसका भुगतान सफल निविदादाता को देना होगा।
16	निविदादाता/सेवा प्रदाता को श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी का भुगतान करना होगा।
17	किसी भी किसी भी शर्त का पूर्णतया पालन ना होने पर अनुबन्ध किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशी जब्त कर जुर्माना लगाया जा सकता है।
18	निविदादाता निविदा भरते समय यदि श्रमिक के हित (ई एस आई एवं अन्य)की राशी जोड़ता है तो उसको कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने से पूर्व पिछले बिल में श्रमिक के हित (ई एस

19	सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप अनुसार 100/-रु0 के नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा, जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा, उक्त अनुबन्ध पर लिखि प्रत्येक शर्त का पालन करना होगा । यदि निविदादाता शर्तों की पालना नहीं करता है तो अनुबन्ध पत्र को किसी भी समय बिना सूचना के समाप्त कर दिया जावेगा ।
20	ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को माह की 7 तारीख तक भुगतान करना होगा । चाहे कोष कार्यालय बीकानेर से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ हो ।
21	निविदादाता राजस्थान सरकार/स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधलय बीकानेर एवं उसकी कोई भी यूनिट से ब्लैक लिस्टिड नहीं होना चाहिये । अगर कोई पाया जाता है तो उसका निविदा फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।

अधौहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा ।

प्रभारी अधिकारी

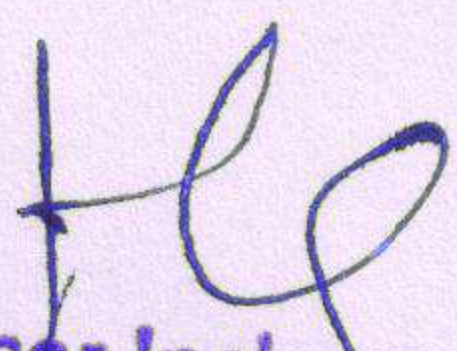
मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने/हमने निविदा के नियम एवं शर्तों को भलि भांति पढ लिया है, समक्ष लिया है तथा मैं /हम इन शर्तों से पूर्णतया सहमत है ।

यदि मैं/हम निविदा में दर्शाई गई शर्तों एवं नियमों का पालन नहीं करते/करता हूँ तो हमारी धरोहर राशी को जब्त कर लिया जावे, इस पर मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पता.....

मोबाईल न0.....


 Officer Incharge
 ARSS, Hanumangarh Town